Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023 (ASVINA 28, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्तूबर, 2023

संख्या 54/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5), धारा 16 की उप–धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

(अ) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 8 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (vi) में, खाना (5) में शर्त के बाद, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:–

"परन्तु जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का प्रदायकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की प्रदाय के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की प्रदाय में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रुपए";

(ii) क्रम संख्या 10 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (i) में, खाना (5) में शर्त के बाद, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:–

"परन्तु जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का प्रदायकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा के प्रदाय के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार के प्रदाय में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा न कि 48 रुपए.";

(iii) क्रम संख्या 34 के सामने,–

(क) खाना (3) के नीचे, मद (iv) में, "टोटलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "किसी क्लब में बुकमेकर को अनुज्ञप्त करते हुए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खाना (3) के नीचे, विद्यमान मद (v) और उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ;

(आ) सारणी में (सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम) में,–

(i) क्रम संख्या 696 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 698 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 20th October, 2023

No. 54/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 8, under column (3), in item (vi), after the condition in column (5), the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid/payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration:'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' State tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(ii) against serial number 10, under column (3), in item (i), after the condition in column (5), the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid/payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' State tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' State tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(iii) against serial number 34,-

(a) under column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to" , the words "licensing a" shall be substituted;

(b) under column (3), item (v) and the entries thereagainst shall be omitted;

(B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-

(i) serial number 696 and the entries thereagainst shall be omitted;

(ii) serial number 698 and the entries thereagainst shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10664—C.S.—H.G.P., Pkl.